खण्ड 5

नागरिक समाज : अवधारणा व भूमिका

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 11 नागरिक समाज संगठन की अवधारणा व भूमिका

संरचना

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना

11.2 नागरिक समाज संगठन की अवधारणा

11.3 भारत में नागरिक समाज संगठन

11.4 नागरिक समाज संगठन की भूमिका

11.5 नागरिक समाज संगठन के समक्ष चुनौतियाँ

11.6 नागरिक समाज संगठन : आगामी पथ

11.7 सारांश

11.8 संदर्भ लेख

11.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः

- नागरिक समाज संगठन की अवधारणा पर चर्चा कर सकेंगे;
- भारत में नागरिक समाज संगठन की भूमिका का परीक्षण कर सकेंगे;
- इन संगठनों के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ व मुद्दे का वर्णन करते हुए, इनको दूर करने के सुझावों पर चर्चा करेंगे।

11.1 प्रस्तावना

नागरिक समाज संगठन शब्द का अर्थ प्राचीन ग्रीक दार्षनिक अरस्तु और रोमन दार्षनिक सिसेरो की कृतियों से समझा जा सकता है। जहाँ तक तथ्य है, अरस्तु को इस शब्द का सबसे पहले उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है। इस शब्द को उस समय राजनीतिक संस्थान के पर्याय के रूप में लिया जाता था, जिसका आज के समय में अर्थ पूरी तरह से विपरीत हो चुका है। अब इसे एक स्वायत्त निकाय के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो राज्य से अलग है।

नागरिक समाज संगठन की आधुनिक अवधारणा ने अठारवीं शताब्दी के अंत में स्कॉटिष और कॉन्टिनेंटल ज्ञानोदय युग में अपना उद्‌भव देखा। नागरिक समाज राज्य के समानांतर लेकिन उससे अलग है का विचार थॉमस पाइन व जार्ज हेगेल द्वारा विकसित किया गया। उनके अनुसार, नागरिक समाज एक ऐसा क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ नागरिक उनकी रूचि, महत्वकांक्षाओं, और इच्छाओं के अनुसार जुड़ते थे। विचार धाराओं का यह बदलता हुआ स्वरूप, बदली हुई आर्थिक वास्तविकताओं में प्रतिबिम्बित होता है, जैसे बुर्जुआ, निजी संपत्तियाँ और बाजार प्रतिस्पर्था का उदय।

लेकिन 19वीं शताब्दी के बीच तक, यह शब्द अपना महत्व खो बैठा क्योंकि राजनीतिक दार्षनिकों का ध्यान औद्योगिक क्रांति के कारण हुए सामाजिक और राजनीतक परिणामों की ओर केंन्द्रित हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में यह शब्द पुर्नजीवित हुआ, जब मार्क्सवादी

सिद्धांतकार एंटोनियों ग्राम्स्की ने अत्याचार के विरूद्ध स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधि को एक विशेष केन्द्र के रूप में प्रस्तुत करते हुए नागरिक समाज संगठन के विचार को पुनर्जीवित किया। 1970 और 1980 के दशक में मध्य यूरोप और लैटिन अमेरिका में उन व्यक्तियों को ग्राम्स्की के विचार ने अत्यधिक रूप से प्रभावित किया, जो तानाशाही के विरूद्ध लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ तक कि ''चेक, हंगेरियन, और पोलिष कार्य–कर्ताओं ने नागरिक समाज संगठन की धारणा से स्वयं को आत्मसात करते हुए उसे वीरता की गुणवत्ता से सम्पन्न किया, जब बर्लिन की दिवार गिरी। (कैरोथर्स 1999)

1990 के दशक में नागरिक समाज संगठन की वैष्विक परिप्रेक्ष्य में बढ़ोतरी देखी गई, जहाँ राजनीतिक वैज्ञानिक से लेकर आम आदमी ने इसे एक मंत्र के रूप में उपयोग किया। षीत–युद्ध–युगचेतना के बाद में यह इस युग का महत्त्वपूर्ण संघटक बन गया। ऐलीना ट्रिफोनोवा ने स्वयं के लेख में इस बात को व्यक्त किया कि बर्लिन युद्ध पश्चात् सभी यूरोपीय देशों ने नागरिक समाज संगठन के पुर्ननिर्माण की ओर प्रयास किया।

समाजवाद पश्चात् पारगमन में नागरिक समाज संगठन का महत्व बढ़ गया है। 1990 से, निर्णय लेने की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने में गैर सरकारी संगठन एक महत्वपूर्ण बल के रूप में उभर कर आये हैं। मानव अधिकार के संरक्षण, तथा आवश्यक सेवाएँ जरूरतमंदों को प्रदान करने में नागरिक समाज संगठन उभर कर आया है। नागरिक समाज संगठन की कल्पना लोकतंत्र के एक आवश्यक तत्व के रूप में की गई है। यह लोकतंत्र का परिभाषित तत्व है।

11.2 नागरिक समाज संगठन की अवधारणा

नागरिक समाज संगठन को आमतौर पर परिवार, बाजार, और राज्य के दायरे के बाहर के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। सभ्य समाज की कोई एक परिभाषा नहीं है। इसका अर्थ विभिन्न लेखकों के अनुसार भिन्न–भिन्न है।

सुसेन हॉबर रूडोल्फ के अनुसार, ''सभ्य समाजकृ. में एक गैर–राज्य स्वायत्त क्षेत्र का विचार, नागरिक का सशक्तिकरण, विश्वास आधारित सहयोगी जीवन, राज्य के साथ बातचीत सम्मिलित है।'' दीपांकर गुप्ता नागरिक समाज संगठन को परिभाषित करते है, ''यह कुछ और नहीं बल्कि स्थितियों का एक समूह है, जिसमें व्यक्ति राज्य के साथ सामूहिक रूप से अन्योन्यक्रिया करता है।''

लैरी डायमंड के लिए, यह ''संगठित सामाजिक जीवन का क्षेत्र है जो खुला, स्वैच्छिक, स्व–उत्पादक, स्वावलंबी (बड़े पैमाने पर), और राज्य से स्वायत्त है, जो एक कानूनी आदेश या साझा नियमों से बंधा होता है।'' सामान्य रूप से 'समाज' से यह भिन्न है कि यह नागरिकों को सामूहिक रूप से (सार्वजनिक क्षेत्र में) उनके हितों को व्यक्त करने, विचारों को आदान–प्रदान करने, सूचना को आदान–प्रदान करने, पारस्परिक लक्ष्यों को प्राप्त करने, राज्य से मांग करने, और राज्य अधिकारियों को जवाबदेह रखने के लिए कार्यरत है। नागरिक समाज निजी क्षेत्र और राज्य के बीच एक मध्यस्थ है। नागरिक समाज निजी स्वार्थ के जगह जनता के साथ सम्बन्ध रखता हैकृकृ नागरिक समाज संगठन कुछ स्थिति तक राज्य से संबंधित है, लेकिन इसका उद्देश्य औपचारिक शक्ति प्राप्त करना नहीं है।

जेफरी अलेक्जेंडर के अनुसार, ''नागरिक समाज संगठन एक समावेशी, छतरी जैसी अवध ाारणा है, जो राज्य के बाहर बड़ी मात्रा में पाये जाने वाली संस्थानों से सम्बन्धित है।"

नीरजा गोपाल जयाल ने नागरिक समाज संगठन के अंतर्गत ''सभी प्रकार के स्वैच्छिक संघों और सामाजिक अंतःक्रियाओं को सम्मिलित किया है, जो राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं होते।''

माइकल ब्रैटन की अवधारणा है कि ''नागरिक समाज संगठन घरों और राज्यों के बीच एक सामाजिक अंतःक्रिया है, जो सामुदायिक सहयोग, स्वैच्छिक संघ, और सार्वजनिक संचार के नेटवर्क को अभिलक्षित करती है।''

विश्व बैंक ने कई प्रमुख षोध संस्थाओं द्वारा विकसित किए गए नागरिक समाज संगठन की परिभाषा को अपनाया है, जिसके अनुसार ''नागरिक समाज संगठन शब्द गैर सरकारी और गैर–लाभकारी संगठनों की एक विशाल श्रृंखला को संदर्भित करता है, जिनकी उपस्थिति जन–जीवन में होती है। ये नैतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, धार्मिक, या परोपकारी विचारों के आधार पर अपने सदस्यों के हितों और मूल्यों को व्यक्त करती हैं। इस तरह नागरिक समाज संगठन (सी.एस.ओ.) संगठनों की एक विशाल श्रृंखला का उल्लेख करते हैंः सामुदायिक समूह, गैर–सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.), श्रमिक संघ, स्वदेशी समूह, धर्मार्थ संगठन, विश्वसनीय संगठन, पेशेवर संगठन, व प्रतिश्ठान।''

यूरोपीय संघ (ई.यू.) के अनुसार नागरिक समाज संगठन में वे सभी ''गैर–राज्य, गैर–हितकारी, गैर–पक्षपातपूर्ण, और गैर–हिंसक संगठन सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा लोग अपने उद्देश्यों और आदर्शों को प्राप्त करने के लिए संगठित होते हैं, चाहे ये राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या आर्थिक ही हो। नागरिक समाज संगठन (सी.एस.ओ.) सदस्यता आधारित, कारण आधारित, और सेवा के प्रति उन्मुख होते है। इनमें समुदाय–आधारित संगठन, गैर सरकारी संगठन, आस्था आधारित संगठन, प्रतिश्ठान, षोध संस्थान, लिंग आधारित संगठन, एलजीबीटी संगठन, सहकारी समितियाँ, पेशेवर और व्यावसायिक संगठन, मीडिया, और गैर–लाभकारी संगठन आते हैं। व्यापार संघ और नियोक्ता संगठन, तथाकथित सामाजिक साझेदार माने जाते हैं, और ये नागरिक समाज संगठन की एक विशिष्ट श्रेणी माने जाते हैं।

एक नागरिक समाज संगठन पारिस्थितिकी में आमतौर पर निम्नलिखित सम्मिलित होते हैंः[1]

1. गैर–सरकारी संगठन, गैर–लाभकारी संगठन, और समुदाय आधारित संगठन जिनके पास एक संगठित संरचना या गतिविधि है और ये आमतौर पर पंजीकृत संस्थाएँ या समूह होते हैं।
2. सोशल मिडिया समुदाय, जैसे ऑनलाइन ग्रुप, जो गतिविधियों का आयोजन करते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि उनके पास भौतिक, कानूनी, या वित्तीय संरचनाएँ हों।
3. सामूहिक कार्रवाई से जुड़े सामाजिक आंदोलन, जो भौतिक या ऑनलाइन हो सकते है।
4. धार्मिक नेता, विश्वास आधारित समुदाय, और विश्वास आधारित संगठन।
5. श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रमिक संघ और श्रमिक संगठन।
6. सामाजिक उद्यमी जो सकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के लिए नवीन दृष्टिकोणों का नियोजित करते हैं।
7. स्थानीय स्तर पर तृणमूल संघ और गतिविधियाँ।
8. सदस्यों के स्वामित्व और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित सहकारी समितियाँ।

[1] विश्व आर्थिक मंच, 2013 'नागरिक समाज की भविष्य में भूमिका', वी फोरम, स्विट्जरलैण्ड

उपरोक्त अनुसार, हम नागरिक समाज संगठन के विशिष्ट लक्षणों का निगमन कर सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं:

1. इसमें गैर–राज्य संस्थान सम्मिलित होते हैं।
2. इसमें बहुत सारे ऐसे संगठन और संस्थान सम्मिलित है, जो परिवार, राज्य, और बाजार से बाहर के हैं।
3. यह एक संगठित समाज है।
4. यह स्वैच्छिक है।
5. यह स्वायत्त निकाय है।
6. यह एक गैर–लाभकारी संस्था है।
7. यह राज्य के साथ नागरिक संपर्क को सक्षम बनाता है, इस प्रकार प्रक्रिया में नागरिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाया जाता है।

11.3 भारत में नागरिक समाज संगठन

भारत में सदियों से चली आ रही नागरिक समाज संगठन की गतिविधियों और आंदोलनों की लंबी परंपरा है। भारत में वैदिक काल से ही नागरिक समाज संगठन की जड़े अस्तित्व में थी। भारत में विभिन्न धर्म जैसे हिन्दु धर्म, सिख धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, और जैन धर्म ने हर समय से ही व्यवहार पर बल दिया है, जो समाज और मानव जाति के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। दूसरों के लिए 'देने' की अवधारणा हमारे धर्मों में बहुत अंतनिर्हित है। हमारे यहाँ हिन्दु धर्म में 'दान', सिख धर्म में 'दषवंद', और इस्लाम में 'जक्कत' का उल्लेख है, जो परोपकार करने की भावना से हैं। मध्यकाल में भी, स्वैच्छिक संगठन शिक्षा और स्वास्थ्य से सम्बन्धित कल्याणकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित थे।

19वीं शताब्दी में, नागरिक समाज संगठन से लोकप्रिय लामबंदी का जन्म हुआ, जिसमें विभिन्न सामाजिक समूह जैसे 'ब्रह्म समाज', 'आर्य समाज', 'थियोसोफिक सोसाइटी', 'रामकृश्ण मिशन' का उदय हुआ, जिन्होंने विभिन्न सुधार आन्दोलनों का मार्गदर्शन किया। भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी देखी गयी। महात्मा गाँधी के नेतृत्व में स्वैच्छिक क्षेत्र को गति मिली। उन्होंने जनता को संगठित किया और सभ्य समाज के लिए एक स्थान बनाया, जिसने सत्याग्रह (सत्य और अहिंसा), असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलनों को सफलतापूर्वक परिणाम दिया। गाँधी जी की विचारधारा ने आजादी के बाद भी लोगों को प्रेरित किया और करती रही है। सुन्दर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में किये गये 'चिपको आंदोलन' में स्वतंत्रता पूर्व आंदोलनों की झलक देखी जा सकती है और साथ ही, हाल ही में, अन्ना हजारे द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन और ग्रामीण कार्यकर्ताओं द्वारा सामाजिक अंकेक्षण आंदोलन तथा इसी तरह के अन्य कई उदाहरण हैं।

स्वतंत्रता के बाद, केन्द्र सरकार ने अपने विभिन्न प्रयासों के माध्यम से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारम्भ की। ये प्रयास मूलरूप से इस उद्देश्य से किए गये, जिससे समााजिक कल्याण विकास कार्यों में लोगों की भागीदारी बढ़ सके। 1958 में भारत में पंचायती राज संस्था की स्थापना के बाद, विभिन्न किसान और सहकारी समितियाँ सामने आयी और नागरिक समाज संगठनों के नेटवर्क को बढ़ाने में सहयोग किया। साठ के दशक में सूखे, अकाल, और युद्ध

के कारण स्वैच्छिक कार्यवाई को और बढ़ावा मिला। 1970 और 1980 के दशक में, नागरिक समाज संगठनों (सी.एस.ओ.), विशेषकर गैर–सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) की संख्या गरीबी उन्मूलन, विकास और वृद्धि, शिक्षा का अभिगम, गरीबों के सशक्तीकरण, नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण आदि के क्षेत्रों में वृद्धि हुई और इन्हें राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में मान्यता प्राप्त हुई।

नब्बे के दशक में उदारीकरण, निजीकरण और वैष्वीकरण (एलपीजी) के साथ गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका बढ़ गई। विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने विकासशील देशों को सहायता देने के लिए गैर–राज्य कर्ताओं के साथ काम करने को बढ़ावा दिया। 21वीं शताब्दी में भारत में नागरिक समाज संगठन ने सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) 2005, और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को अधि ानियमित करने के लिए एक बड़ी पहल ली।

रमेश शरण के अनुसार भारत में नागरिक समाज संगठनों (सी.एस.ओ.) को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

1. गाँधीवादी विचार से प्रभावित स्वैच्छिक समूह।
2. पेशेवर ग्रामीण विकास एजेंसियाँ
3. नागरिक और राजनीतिक अधिकार समूह
4. मिशनरी संगठन
5. वामपंथी और अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र, कार्यकर्ता, और महिला आंदोलन
6. दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, पर्यावरणविदों के स्वतंत्र सामाजिक आंदोलन।
7. अल्पसंख्यक समूहों (मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध आदि) के आंदोलन
8. धार्मिक आंदोलन

11.4 नागरिक समाज संगठन की भूमिका

लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक सुदृढ़ नागरिक समाज की उपस्थिति आवश्यक है। आइए, अब हम, विस्तार से नागरिक समाज संगठन की भूमिका पर चर्चा करते हैं।

1. नीति समर्थन

नागरिक समाज संगठनों ने गरीबी उन्मूलन और वंचित वर्गों के सशक्तीकरण के क्षेत्रों में सरकार के साथ नीतिगत संवाद से अत्यधिक सहयोग किया है। ये संगठन न केवल सरकार को इन क्षेत्रों में नीतियों को तैयार करने में सहायता करते हैं, बल्कि नीति क्रियान्वयन और निगरानी व समीक्षा में भी सहयोग करते हैं।

2. सुरक्षा भूमिका

एसोशिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स' उन लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करता है जिनकी कानून की अदालतों तक पहुँच नहीं है। आमतौर पर इस प्रकार के नागरिक समाज संगठन नागरिकों को दमन से बचाते हैं और कानूनी सेवाओं को सक्षम बनाते हैं।

3. पारदर्शिता को बढ़ावा देना

नागरिक समाज संगठनों ने आरटीआई अधिनियम, 2005 और लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को अधिनियमित किया है।

4. नागरिकों और संसाधनों का संघटन करना

ये संगठन विकासात्मक कार्यों में समुदायों को सम्मिलित करने के लिए उन्हें इन कार्यों के नियोजन व डिजाइन में सम्मिलित करते हैं। इससे सरकार को अपनी कुछ नीतियों को भी पटरी पर लाने में सहायता मिलती है, जो नीतियाँ नागरिकों के अनुकूल नहीं है। इन्होंने सामुदायिक संसाधनों का उपयोग सामुदायिक बुनियादी ढाँचे, घरों, शौचालयों के निर्माण, और पानी, बिजली आदि जैसे बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने में की है।

5. विकास में एक सक्रिय भागीदारी के रूप में

देश में ग्रामीण क्षेत्रों और मलिनवस्तिओं में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 'आशा' 'प्रथम' जैसे गैर–सरकारी संगठन सक्रिय है। 'रूरल हेल्थ केयर' फाउंडेषन जैसे गैर सरकारी संगठन ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहा है।

11.5 नागरिक समाज संगठन के समक्ष चुनौतियाँ

नागरिक समाज संगठन द्वारा सामना किये जाने वाले मुख्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जो निम्नलिखित हैं:

1. पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी

नागरिक समाज संगठनों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी है, क्योंकि जिन लोगों की ये संगठन सेवा करते है उनके पास भुगतान करने की क्षमता नहीं होती, इसीलिए, वे सरकारी/गैर–सरकारी निकायों/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से धन प्राप्त करने पर निर्भर करते हैं। वर्तमान में, एक ओर तो अंतराष्ट्रीय फंडिंग में कटौती हुई है और दूसरी ओर, कॉरपॅरिट सामाजिक उत्तरदायित्व वाले कार्यक्रमों को उत्साहपूर्वक बनाने का दबाव नागरिक समाज संगठन की वित्तीय अपर्याप्ता की समस्या को और अधिक बढ़ा रहा है।

2. पेशेवर और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी

स्वैच्छिक क्षेत्र में पेशेवर और प्रशिक्षित कर्मियों की भारी कमी है। अधिकांश कर्मी अयोग्य और अकुशल है। अपर्याप्त वेतन कुशल कर्मी की नियुक्ति में एक निवारक का काम करता है। इसके अतिरिक्त, पेशेवर रूप से योग्य और प्रशिक्षित व्यक्तियों का झुकाव और प्राथमिकता शहरों के लिए होती हैं ना कि पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों के लिए।

3. जबावदेही से जुड़े मुद्दे

नागरिक समाज संगठन के लिए एक मुद्दा वित्तीय मामलों में जबावदेहीता और पारदर्शिता के सम्बन्ध में है। जनवरी 2017 में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय

ने लगभग 30 लाख गैर सरकारी संगठनों के लेखा–परीक्षण करने का कदम उठाया। यह कदम उन गैर–सरकारी संगठनों के संदर्भ में लिया गया, जिन्होंने स्वयं द्वारा प्राप्त धन में किए गए खर्चे का लेखा–जोखा नहीं दिया।[2]

4. सरकार–नागरिक समाज अंतरापृष्ठ

सरकार के साथ नागरिक समाज संगठन की साझेदारी ने कई कल्याणकारी और विकासात्मक कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में सहायता की है। नागरिक समाज संगठन ने विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की नीतियों को बनाने में सरकार के साथ काम किया है । लेकिन नागरिक समाज संगठनों और सरकार के बीच इस अंतरापृष्ठ पर सरकारी अधिकारियों, नौकरशाहों के अहंकारी रवैये, तथा अकर्मणयता के कारण दोनों के बीच के एक खाई सी पैदा हो गयी है।

11.6 नागरिक समाज संगठनः आगामी पथ

नागरिक समाज एक विशाल और विविध प्रकार का समूह है, जिसमें विभिन्न संगठन सम्मिलित होते हैं। यह पिछड़े वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने, संसाधनों को जुटाने, नीति का समर्थन करने, और राज्य कार्यवाई को विनियमित करने और निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दुनिया भर में सुशासन का प्रमुख उपकरण बन गया है। हितधारकों की भागीदारी से नागरिक समाज में समावेशण के लिए भी एक स्थान रहा है। ब्रिटिश विचारक जॉन कीन, ने कहा कि ''नागरिक समाज संगठन स्वतंत्रता का एक क्षेत्र है, जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। जहाँ नागरिक समाज नहीं है वहाँ क्षमता वाले नागरिक नहीं हो सकते हैं। यह नागरिकों को एक राजनीतिक–कानूनी ढाँचे के भीतर अपनी पहचान, अधिकार, और कर्तव्य चुनने में सक्षम बनाता है।''

नागरिक समाज संगठनों को अपर्याप्त वित्त, अप्रशिक्षित, और अकुशल कर्मचारियों, जवाबदेहीता की कमी, और सरकार के साथ संघर्ष जैसे मुद्दों का प्रायः सामना करना पडता है, जिससे वे निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हालांकि, नागरिक समाज संगठनों और सरकार के बीच संवाद के लिए एक मंच तैयार करके, कौषल विकास, और क्षमता निर्माण कार्य षालाओं द्वारा तथा पुनष्चर्या कार्यक्रमों के माध्यम से, और नागरिक समाज संगठनों के सामाजिक और निष्पादन के लेखा परिक्षण से इन मुद्दों को हल किया जा सकता है।

11.7 सारांश

उपरोक्त से हम नागरिक समाज संगठन की अवधारणा को समझ सकते हैं तथा उसकी भूमिका का परीक्षण भी कर सकते हैं। विभिन्न विद्वानों ने नागरिक समाज संगठन की परिभाषा दी है, जिससे हमको नागरिक समाज संगठन के बारे में विस्तृत समझ मिलती है। इन संगठनों में आने वाले समुदाय को भी इस इकाई में प्रदर्षित किया गया है। साथ ही, नागरिक समाज की विभिन्न भूमिकाएँ जैसे नीति समर्थन, सुरक्षा भूमिका, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, और विकास में समुदाय की एक सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इसके समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं, जैसे पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी, पेशेवर व प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी आदि। निष्कर्ष में, इस इकाई के अंतर्गत नागरिक समाज संगठन को प्रभावी बनाने के सुझाव भी दिए गए हैं।

[2] http://www.thehindu.com/todays-paper/SC-orders-audit-of-30-lakh-NGOs/article17020950.ece

11.8 सन्दर्भ लेख

- एशियाई डेवलपमेंट बैंक, "ओवरव्यू ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गनाजेषनः इण्डिया", http://www.abd.org/publications/overview-civil-society-organizations-india
- AUGUR, 2030 में दुनिया में यूरोप के लिए चुनौतियाँ ''द रोल एण्ड स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेषन इन नेशनल एण्ड ग्लोबल गवर्नेस इवोल्यूषन एण्ड आउटलुक विटविन नॉव एण्ड 2030" WP6. 2012 पुनः प्राप्त

  www.augurporject.eu/IMG/pdf/cso_note_provisional.draft_june_2012.pdf
- भट्टाचार्य, मोहित, न्यू हॉरिजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन., नई दिल्ली : जवाहर पब्लिषर्स एंड डिस्ट्रीव्यूटर्स, 2011
- वोरिस डेविल, ''ए कन्सेप्चूअल हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटीः फ्रॉम ग्रीक बिगनिंग टू द एंड ऑफ मार्क्स", पास्ट इमपरफेक्ट, वॉल्यूम 6 (1997):3–42
- ब्रेटन माइकल "सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल ट्रांजिषन इन अफ्रीका बॉस्टन, एम ए : इंस्टीट्यूट फॉर डेवलमेंट रिसर्च, 1994
- कैराथर्स, थॉमस ''द कन्सेप्ट ऑफ ए सिविल सोसाइटी इज ए रिसेन्ट इनवेन्सन" फॉरन पॉलिसी (1999):18–29, 1 नवंबर, 2017 को www.osfa.am/wp-content/upload/2013/03/carothers-on-civil-soiety.pdf last पर पुनः प्राप्त प्रपत्र
- डायमंड, लैरी ''रिथिंकिंग सिविल सोसाइटी : टूवॅर्ड डेमोक्रेटिक कसॉलिडेषन" जनरल ऑफ डेमोक्रेसी, वॉल्यूम 5, नंबर 3 (जुलाई 1994)
- दीपांकर गुप्ता, कल्चर, स्पेस एण्ड द नेषन स्टेट, फ्रॅम सेन्टिमेंट टू स्ट्रक्चर. नई दिल्लीः सेज पब्लिकेशनस, 2000।
- मिश्रा, कैलाष केकृ ''चौपाल एज मल्टिडायमेंषनल पब्लिक स्पेस फॉर सिविल सोसाइटी इन इण्डिया". इंदिरा गाँधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्टस, नई दिल्ली और नेशनल फोक्लॉर सपोर्ट सेंटर, चेन्नई द्वारा दिल्ली में ''फोक्लॉर पब्लिक स्पेस एण्ड सिविल सोसाइटी" के लिए संयुक्त रूप से आयोजित अंतर्राश्ट्रीय संगोश्ठी में पेपर 7–11 अक्टूबर, 2002 को प्रस्तुत किया गया।
- सिंह, विजेन्द्र ''एन एनेलिसिस ऑफ कन्सेप्ट एण्ड रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन कन्टेम्परेरी इण्डिया". ग्लोबल जनरल ऑफ ह्यूमन सोशल साइन्स. वाल्यूम 12 इष्यू 7 (2012) http:globaljournals.org/GJHSS_Volume12/10-An-Analysis-of-Concept-and Role.pdf
- द वर्ल्ड बैंक. डिफाइनिंग सिविल सोसाइटी. http://go.worldbank. org/4CE7W046K0.
- ट्रिफोनोवा, ऐलिना, सिविल सोसाइटी–ए की ऐलिमेंट फॉर पोस्ट–कोल्ड वार ज़ीटजीस्ट, वर्ष नहीं मालूम
- वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम, 2013, द फ्युचर रोल ऑफ सिविल सोसाइटी

  www3.weforum.org/docs/WEF_FutureRoleCivilSociety_Report_2013.pdf November 1, 2017